



JINDAL POLY FILMS LTD.

Plot No. 12, Sector B-1,
Local Shopping Complex,
Vasant Kunj,
New Delhi - 110070 (INDIA)
Phone : 011-40322100
Fax : (91-11) 40322129
Web. : www.jindalgroup.com

JPFL/DE-PT/SE/AGM/2020-21

Dated: 10th September 2021

The Manager, Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra
Kurla Complex Bandra (E)
Mumbai - 400 051
Scrip Code: NSE: JINDALPOLY

The Manager Listing
BSE Limited.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001
Scrip Code: BSE: 500227

Sub: Submission of News Paper Advertisement regarding Annual General Meeting

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed herewith scan copies of Published Notice in Newspapers as mentioned hereunder:

1. Notice of 47th Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting Information published in Jansatta (Hindi) as on 10th September 2021, regarding holding of Annual General Meeting through VC/OAVM.

Kindly bring it to the notice of all concerned.

Thanking you.

Yours Sincerely,

For JINDAL POLY FILMS LIMITED

Sanjeev Kumar
Company Secretary
ACS: 18087
Encl.: As above



कोपाने समय में प्रबंध या कि रोड़ से है। 857 हज़ार 4 लाख 79 है।

T

लिमिटेड अनुबंधों स्टैंड बैंक जि जारी प्रबन्धित

गोएहा- लांट न.

ति, माप पराना उत्तर- पश्चिम

र. ग्राम पूर्व न. फिरे

00 वर्ग क्वचर, प्रा पत्नी

शॉट नं. होलीनी, प्लॉट

41 का, जिला उत्तर :

फयुजन

30 पर मीटर, सीमाएं सम्पत्ति,

69 वर्ग शेषबाद, उत्तर :

लिमिटेड करने पर शि फास्ट कम पट्टे

ह. /- अधिकारी लिमिटेड लिमिटेड (गप से)

महाराष्ट्र का नाम एवं हस्ताक्षर: पूजा बाबा दिनांक 04.09.2021 स्थान: नई दिल्ली

जिन्दल पॉली फिल्म लिमिटेड
[CIN: L11711 (P) 197 (PL) 0000000]
पंजी. कार्यालय: 19वीं कि.मी. हापुर-बुलन्दशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी, जिला बुलन्दशहर, (उ.प्र.)
CIN: L22222UP2011PLC103611
ई-मेल आईडी: cs_uphoto@universusphotoimaging.com
वेबसाइट: www.universusphotoimaging.com, टेलीफोन नं.: 91-11-40322100, 10वीं वार्षिक आम सभा, पुस्तक बंद होने तथा ई-वोटिंग जानकारी के लिये सूचना

एवम्/द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों ("अधिनियम") के अनुपालन में जिन्दल पॉली फिल्म लिमिटेड की 47वीं वार्षिक आम सभा गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 को 3.00 बजे अप. में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें 47 वीं एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। कोविड-19 महामारी के लागतार प्रसार को देखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपनी सर्वसुलर सं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 तथा 02/2021 तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 (क्रमशः) (सामूहिक रूप से "एमसीए सर्वसुलर" विहित) तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 तथा सेबी सर्वसुलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआरपी/2020/79 तिथि 12 मई, 2020 तथा सेबी सर्वसुलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआरपी/2021/11 तिथि 5 जनवरी, 2021 (सामूहिक रूप से "सेबी सर्वसुलर" विहित) के माध्यम से कम्पनी की 47 वीं वार्षिक आम सभा की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये किसी स्थान विशेष पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") द्वारा वार्षिक आम सभा के आयोजन की अनुमति दी है।

अधिनियम की धारा 101 तथा 136 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों, सेबी सूचीबद्ध विनियमन के विनियमन 36 के प्रावधानों के अनुपालन में तथा एमसीए सर्वसुलर एवं सेबी सर्वसुलर के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के साथ 47वीं एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से 8 सितम्बर, 2021 को ई-मेल द्वारा केवल उन्हीं सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान रखें कि यह कम्पनी की वेबसाइट स्टिक एक्सचेंजों की वेबसाइट https://www.jindalpoly.com/download_reports अथवा एक्सचेंजों की वेबसाइट अथवा बायसे स्टिक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टिक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com क्रमशः तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ("केफिन टेक") की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> पर भी उपलब्ध है।

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किये हैं, उनसे आग्रह है कि इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से डिपॉजिटरी के पास तथा भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ("केफिन टेक") से लेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनारियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिगम पल्ली मंडल, हैदराबाद-500032 को लिख कर उसे पंजीकृत करा लें।

कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, तथा संशोधित के नियम 20, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 तथा ईस्टीयूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी साधारण सभाओं पर संचालनीय मानकों-2 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार यह कम्पनी अपने शेयरधारकों को सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग अथवा 47वीं एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली (इन्स्टापोल) के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। जिसकी विस्तृत सूचना सूचना के निर्देश भाग में दी गई है।

उक्त कट-ऑफ तिथि अर्थात् वृहस्पतिवार, 23 सितम्बर, 2021 को भौतिक पद्धति या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों (ऐसे सदस्यों सहित जिन्होंने उपरोक्त रूप में केफिन अथवा डीपीज के पास अपने ईमेल पते का पंजीकरण नहीं करने के कारण इस सूचना को प्राप्त नहीं किये हैं), वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा 47 वीं एजीएम के दौरान इन्स्टापोल के माध्यम से ई-वोटिंग द्वारा 47वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं।

"सूचबद्ध कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी सर्वसुलर सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआरपी/2020/242" तिथि 9 दिसम्बर, 2020 के अनुपालन में उनकी डीमैट खाताओं/डिपॉजिटरीज/डीपीज की वेबसाइटों के माध्यम से सिंगल लॉगिन क्रेडेन्शियल द्वारा सभी वैयक्तिक डीमैट खाताधारकों के लिये ई-वोटिंग प्रक्रिया सक्षम कर दी गई है। वोटिंग प्रक्रिया की क्षमता बढ़ाने के लिये उसकी विस्तृत प्रक्रिया 47 वीं एजीएम की सूचना के निर्देश भाग में उपलब्ध कराई जा रही है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 (9.00 बजे पूर्व.) में शुरू होगी तथा बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को (5.00 बजे अप.) में बंद होगी। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद केफिन द्वारा तयवात उसे निष्क्रिय कर दिया जायेगा। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा सदस्य द्वारा एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें अपने मत में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा द्वारा अपना मतदान कर देने के बाद भी सदस्य 47 वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन 47 वीं एजीएम के दौरान पुनः मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

वीसी के माध्यम से 47 वीं एजीएम में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हैं तथा ऐसे करने से अन्वया वंचित नहीं हों, वे 47 वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली (इन्स्टापोल) द्वारा ई-वोटिंग सुविधा का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

सदस्यगण अपने रिमोट ई-वोटिंग (ईवैटिंग नं. 6288) , लॉगिन क्रेडेन्शियल का उपयोग करते हुए <https://emeetings.kfintech.com> पर वीसी/ओएवीएम द्वारा 47वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा भागीदारी, ई-वोटिंग की प्रक्रिया सहित यह तरीका जिसमें भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किये हैं, रिमोट ई-वोटिंग अथवा 47 वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली (इन्स्टापोल) द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं, पर विस्तृत निर्देश सूचना के निर्देश भाग में उपलब्ध कराई गई है।

यदि कोई व्यक्ति 47 वीं एजीएम की सूचना में प्रेषण के बाद किन्तु ई-वोटिंग के लिये कट-ऑफ तिथि अर्थात् गुरुवार, 23 सितम्बर, 2021 को या उससे पूर्व कम्पनी का सदस्य बने हों अथवा 47 वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद अपना ईमेल पता पंजीकृत करायें हों, ऐसे सदस्य सूचना के निर्देश भाग में वर्णित प्रक्रिया में अनुरोध भेजकर पुनः आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

इस सूचना में वर्णित सभी दस्तावेज तथा उसके भौतिक तथ्यों से युक्त व्याख्यात्मक विवरण तथा विधिक रजिस्टरस कम्पनी द्वारा निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराई जायेंगी तथा इसलिये सदस्यों से आग्रह है कि संबंधित दस्तावेजों के लिये cs_jpoly@jindalgroup.com पर ईमेल से अनुरोध भेजें।

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किये हैं तथा रिमोट ई-वोटिंग अथवा 47 वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली (इन्स्टापोल) द्वारा मतदान के लिये किसी प्रश्न/समस्या की स्थिति में सदस्यगण <https://evoting.kfintech.com> (केफिन्टेक की वेबसाइट) पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा की सुरेश चावु डी, उप प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, फाइनारियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिगम पल्ली मंडल, हैदराबाद-500032 से सम्पर्क करें अथवा cinward.ris@kfintech.com पर ईमेल भेजें अथवा 1800 3094 001 पर कॉल करें अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान की प्रक्रिया तथा तरीका के लिये कृपया 47 वीं एजीएम की सूचना देखें।

कम्पनी का ISIN है INE197D01010 सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपनी शेयरों को डिमैटेरियलाइज कर लें।

निदेशक मंडल के आदेश से
जिन्दल पॉली फिल्म लिमिटेड के लिये
हस्ता/-
संजीव कुमार
कम्पनी सचिव
ACS: 18087
स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 08 सितम्बर, 2021

8/268, पारम म - मकान नं. 8/268, दाक्षिण नं - 30 फीट चौड़ी रोड दिनांक 04.09.2021 स्थान गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब मेगनल बैंक

यूनिवर्सस फोटो ईमैजिंग्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: 19वीं कि.मी., हापुर-बुलन्दशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी, जिला बुलन्दशहर, (उ.प्र.)
CIN: L22222UP2011PLC103611
ई-मेल आईडी: cs_uphoto@universusphotoimaging.com
वेबसाइट: www.universusphotoimaging.com, टेलीफोन नं.: 91-11-40322100, 10वीं वार्षिक आम सभा, पुस्तक बंद होने तथा ई-वोटिंग जानकारी के लिये सूचना

एवम्/द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों ("अधिनियम") के अनुपालन में यूनिवर्सस फोटो ईमैजिंग्स लिमिटेड की 10वीं वार्षिक आम सभा गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 को 4.30 बजे अप. में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें 10 वीं एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। कोविड-19 महामारी के लागतार प्रसार को देखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपनी सर्वसुलर सं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 तथा 02/2021 तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 (क्रमशः) (सामूहिक रूप से "एमसीए सर्वसुलर" विहित) तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 तथा सेबी सर्वसुलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआरपी/2020/79 तिथि 12 मई, 2020 तथा सेबी सर्वसुलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआरपी/2021/11 तिथि 5 जनवरी, 2021 (सामूहिक रूप से "सेबी सर्वसुलर" विहित) के माध्यम से कम्पनी की 10 वीं वार्षिक आम सभा की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये किसी स्थान विशेष पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") द्वारा वार्षिक आम सभा के आयोजन की अनुमति दी है।

अधिनियम की धारा 101 तथा 136 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों, सेबी सूचीबद्ध विनियमन के विनियमन 36 के प्रावधानों के अनुपालन में तथा एमसीए सर्वसुलर एवं सेबी सर्वसुलर के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के साथ 10वीं एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से 8 सितम्बर, 2021 को ई-मेल द्वारा केवल उन्हीं सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं।

सदस्य ध्यान रखें कि यह कम्पनी की वेबसाइट स्टिक एक्सचेंजों की वेबसाइट <https://www.universusphotoimaging.com/investors.html>, स्टिक एक्सचेंजों की वेबसाइट अथवा बायसे स्टिक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टिक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com क्रमशः तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ("केफिन टेक") की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> पर भी उपलब्ध है।

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किये हैं, उनसे आग्रह है कि इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से डिपॉजिटरी के पास तथा भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ("केफिन टेक") से लेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनारियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिगम पल्ली मंडल, हैदराबाद, तेलंगना-500032 को लिख कर उसे पंजीकृत करा लें।

कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, तथा संशोधित के नियम 20, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 तथा ईस्टीयूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी साधारण सभाओं पर संचालनीय मानकों-2 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार यह कम्पनी अपने शेयरधारकों को सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग अथवा 10वीं एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली (इन्स्टापोल) के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। जिसकी विस्तृत प्रक्रिया सूचना के निर्देश भाग में दी गई है।

उक्त कट-ऑफ तिथि अर्थात् वृहस्पतिवार, 23 सितम्बर, 2021 को भौतिक पद्धति या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों (ऐसे सदस्यों सहित जिन्होंने उपरोक्त रूप में केफिन अथवा डीपीज के पास अपने ईमेल पते का पंजीकरण नहीं करने के कारण इस सूचना को प्राप्त नहीं किये हैं), वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा 10 वीं एजीएम के दौरान इन्स्टापोल के माध्यम से ई-वोटिंग द्वारा 10वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं।

"सूचबद्ध कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी सर्वसुलर सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआरपी/2020/242" तिथि 9 दिसम्बर, 2020 के अनुपालन में उनकी डीमैट खाताओं/डिपॉजिटरीज/डीपीज की वेबसाइटों के माध्यम से सिंगल लॉगिन क्रेडेन्शियल द्वारा सभी वैयक्तिक डीमैट खाताधारकों के लिये ई-वोटिंग प्रक्रिया सक्षम कर दी गई है। वोटिंग प्रक्रिया की क्षमता बढ़ाने के लिये उसकी विस्तृत प्रक्रिया 10 वीं एजीएम की सूचना के निर्देश भाग में उपलब्ध कराई जा रही है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 (9.00 बजे पूर्व.) में शुरू होगी तथा बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को (5.00 बजे अप.) में बंद होगी। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद केफिन द्वारा तयवात उसे निष्क्रिय कर दिया जायेगा। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा सदस्य द्वारा एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें अपने मत में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा द्वारा अपना मतदान कर देने के बाद भी सदस्य 10 वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन 10 वीं एजीएम के दौरान पुनः मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

वीसी के माध्यम से 10 वीं एजीएम में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हैं तथा ऐसे करने से अन्वया वंचित नहीं हों, वे 10 वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली (इन्स्टापोल) द्वारा ई-वोटिंग सुविधा का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

सदस्यगण अपने रिमोट ई-वोटिंग (ईवैटिंग नं. 6288) , लॉगिन क्रेडेन्शियल का उपयोग करते हुए <https://emeetings.kfintech.com> पर वीसी/ओएवीएम द्वारा 10वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा भागीदारी, ई-वोटिंग की प्रक्रिया सहित यह तरीका जिसमें भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किये हैं, रिमोट ई-वोटिंग अथवा 10वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली (इन्स्टापोल) द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं, पर विस्तृत निर्देश सूचना के निर्देश भाग में उपलब्ध कराई गई है।

यदि कोई व्यक्ति 10 वीं एजीएम की सूचना में प्रेषण के बाद किन्तु ई-वोटिंग के लिये कट-ऑफ तिथि अर्थात् गुरुवार, 23 सितम्बर, 2021 को या उससे पूर्व कम्पनी का सदस्य बने हों अथवा 10 वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद अपना ईमेल पता पंजीकृत करायें हों, ऐसे सदस्य सूचना के निर्देश भाग में वर्णित प्रक्रिया में अनुरोध भेजकर पुनः आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

इस सूचना में वर्णित सभी दस्तावेज तथा उसके भौतिक तथ्यों से युक्त व्याख्यात्मक विवरण तथा विधिक रजिस्टरस कम्पनी द्वारा निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराई जायेंगी तथा इसलिये सदस्यों से आग्रह है कि संबंधित दस्तावेजों के लिये cs_uphoto@universusphotoimaging.com पर ईमेल से अनुरोध भेजें।

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किये हैं तथा रिमोट ई-वोटिंग अथवा 10 वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली (इन्स्टापोल) द्वारा मतदान के लिये किसी प्रश्न/समस्या की स्थिति में सदस्यगण <https://evoting.kfintech.com> (केफिन्टेक की वेबसाइट) पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा की सुरेश चावु डी, उप प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, फाइनारियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिगम पल्ली मंडल, हैदराबाद-500032 से सम्पर्क करें अथवा cinward.ris@kfintech.com पर ईमेल भेजें अथवा 1800 3094 001 पर कॉल करें अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान की प्रक्रिया तथा तरीका के लिये कृपया 10 वीं एजीएम की सूचना देखें।

कम्पनी का ISIN है INE03V001013 सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपनी शेयरों को डिमैटेरियलाइज कर लें।

निदेशक मंडल के आदेश से
यूनिवर्सस फोटो ईमैजिंग्स लिमिटेड के लिये
हस्ता/-
सुरेश कुमार
कम्पनी सचिव
ACS: 41503
स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 08 सितम्बर, 2021

नई दिल्ली